

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों की समीक्षा" पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों की समीक्षा" पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

इस संबंध में, अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों पर भादूविप्रा द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने के अनुरोध और महत्वपूर्ण मुद्दों की एक सूची के साथ दिनांक 10.09.2018 का दूरसंचार विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 7.01.2019 के अपने पत्र में कुछ मुद्दों पर पृष्ठभूमि की जानकारी भी दी थी।

2. प्राधिकरण ने मामले से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 29.03.2019 को 'अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों की समीक्षा' पर एक विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया। । इसके बाद, विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों की राय जानने के लिए दिल्ली में 15.07.2019 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई थी।

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सूचनाओं और अपने विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों की समीक्षा' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं: -

- (क) ओएसपी की परिभाषा में स्पष्टता लाई गई है। केवल वॉइस आधारित आउटसोर्स किए गए ओएसपी के लिए मौजूदा प्रक्रिया में पंजीकरण कराना जरूरी है। डेटा/इंटरनेट आधारित ओएसपी को केवल सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
- (ख) कैप्टिव उद्देश्यों के लिए सेवाओं का प्रावधान अर्थात् कैप्टिव संपर्क केंद्रों को ओएसपी के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्हें केवल सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
- (ग) पंजीकरण/सूचना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और तय समय-सीमा के भीतर होगी।
- (घ) एक एलएसए के भीतर एकल कंपनी के कई एएसपी केंद्रों को एकल ओएसपी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- (ङ) एक ही कंपनी के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के बीच इन्फ्रास्ट्रक्चर के बंटवारे के लिए समझौता बैंक गारंटी की शर्त को हटा दिया गया है।
- (च) होम (डब्ल्यूएफएच) इकाई से काम करने के लिए समझौते और बैंक गारंटी की शर्त को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा, पीपीवीपीएन की शर्त को भी हटा दिया गया है और किसी भी व्यावसायिक वीपीएन का उपयोग डब्ल्यूएफएच के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।
- (छ) एक ओएसपी केंद्र में प्राप्त इंटरनेट को उसी कंपनी के अन्य ओएसपी केंद्रों के साथ साझा किया जा सकता है (बशर्ते आईएसपी का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र हो)।
- ज) अंतरराष्ट्रीय ओएसपी में विदेशी स्थान पर ईपीएबीएक्स हो सकता है।
- (झ) सेवा के रूप में प्लेटफार्म मुहैया करा रहे संपर्क केंद्र सेवा प्रदाता (सीसीएसपी)/होस्टेड संपर्क केंद्र सेवा प्रदाता (एचसीसीएसपी) को पंजीकरण के अंतर्गत लाया गया है। दूरसंचार संसाधनों के पुनः बिक्री में शामिल सीसीएसपी/एचसीसीएसपी को वीएनओ लाइसेंस लेना होगा।
- (ञ) सीसीएसपी/एचसीसीएसपी को दूरसंचार विभाग द्वारा नीति की घोषणा के बाद, स्वयं का जरूरी पंजीकरण कराने/ लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा।

4. सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट www-traai-gov-in पर अपलोड की गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री यू. के. श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (एनएसएल) से टेलीफोन/फैक्स नंबर + 91-11-23233291 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।